रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र

आपराधिक अपील संख्या 790/2017

अपील (आपराधिक) संख्या 1165/2017 की विशेष अनुमति के लिए याचिका

हीरा लाल और अन्य अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य प्रतिवादी (गण)

निर्णय

रोहिंटन फली नरीमन, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान मामले में 28 मार्च, 2002 को एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि आत्महत्या करने वाली महिला के ससुर और सास ने उसे कम से कम पांच वर्षों तक प्रताड़ित किया और इस उत्पीड़न के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के तहत अपराध किए गए। विचारण न्यायालय ने पी डब्लू 4

और 5, जो पड़ोसी थे, के साक्ष्यों पर भरोसा किया जिन्होंने इस तथ्य को सत्यापित किया कि ससुराल पक्ष द्वारा मृतक महिला को प्रताड़ित किया जाता था। मेडिकल साक्ष्य से भी यह पता चलता है कि महिला ने खुद पर केरोसीन छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी, जिससे वह 90 प्रतिशत जल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अनुसार, पीडब्लू 9, जो एक उप-खंड मजिस्ट्रेट थे,के समक्ष एक मृत्युकालिक बयान दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

> "पीडब्लू-9, हिम्मत सिंह ने कथन किया है कि 28.03.02 को वे एसडीएम के रूप में कार्य कर रहे थे और उस दिन वे मृतका का बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल गए थे। उस समय डॉ. वर्मा ड्यूटी पर थे और उन्होंने कहा कि ललिता अपना बयान दर्ज करवाने की स्थिति में है। जब मैंने ललिता से पूछा तो उसने बताया कि वह सो रही थी और उसके ससुराल वाले उससे रोज झगड़ा करते थे। आज भी उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया। उन्होंने मुझे घर छोड़ कर जाने के लिए कहा। जो हुआ उसके लिए मेरे पति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। वह कुवैत में रहतेहैं। वह अब यहां आ गए हैं। मैं अपने

ससुराल वालों से अलग रह रही हूँ। आज वो अपना सामान लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि वे मेरे साथ रहने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं और इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती। उन्होंने कहा, हम यहीं रहेंगे और तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रसोई के अंदर जा कर स्टोव से केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। मेरे ससुर मुझे देख रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास नहीं किया। मेरे पति ने मुझे बचाने की कोशिश की। मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज की मांग कर रहे थे। मेरा मेरे पति के साथ कोई झगड़ा नहीं था। मेरे द्वारा दर्ज किए गए बयान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। ललिता के अंगूठे का निशान X बिंदु पर है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह के दौरान गवाह ने कहा कि उसके द्वारा अभिलिखित बयान प्रदर्श पी-5 है और X बिंदु पर ललिता के अंगूठे का निशान है। बयान दर्ज करने के समय मृतकाके माता-पिता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था और उसके ससुराल वालों को कमरे से बाहर भेज दिया

गया था। ललिता के पति ओमप्रकाश ललिता द्वारा स्वयं को आग लगाने के समय और आग बुझाने के समय मौजूद थे।"

3. इस साक्ष्य पर, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 498क के तहत अपराध नहीं किया गया था लेकिन हमारे समक्ष विद्यमान दो अपीलार्थियों को धारा 306 के तहत दोषसिद्ध ठहराया और उन्हें तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया। उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा एक अपील दायर की गई, उच्च न्यायालय ने, उपर्युक्त मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करते हुए, अपील को खारिज कर दिया।

4. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि राज्य ने धारा 498क के तहत उनकी दोषमुक्ति के खिलाफ अपील नहीं की थी और इसलिए, यह तथ्य अंतिम है कि धारा498क के तहत अपराध नहीं किया गया है। धारा 306 के तहत किए गए अपराध पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि धारा 306 के तहत अपराध के अवयवों में से एक यह है कि अपराधियों द्वारा क्रूरता की जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृत्युकालिक कथन के आधार पर, जिसे मुख्य महत्व दिया गया है, यह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था।

5. दूसरी ओर, राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया। उनके अनुसार, प्रकरण के सबूतों और मृत्युकालिक कथन के आधार पर समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मामले के तथ्यों के अनुसार आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। विद्वत अधिवक्ता ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क में निहित उपधारणा पर भी भरोसा किया है क्योंकि विवाह के सात वर्षों के भीतर मृत्यु हो गई है; और इस उपधारणा का खंडन न होने के कारण, हमारी ओर से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

6. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता को सुनने और साक्ष्य को देखने के बाद, हमारी राय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क को लागू करने के लिए संतुष्ट होने से पहले तीन घटकों की आवश्यकता है, अर्थात् (i) कि किसी महिला ने आत्महत्या कर ली है, (ii) आत्महत्या उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर की गई है और (iii) पति या उसके संबंधियों, जिन पर आरोप लगाया गया है, ने उसके साथ क्रूरता की है।

7. इस न्यायालय ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस. सी. सी. 618 के प्रकरण के निर्णय में विधि के बारे में इस प्रकार कहा हैः

"यह प्रावधान आपराधिक कानून (द्वीतीय) संशोधन अधिनियम, 1983 द्वारा 26-12-1983 से लागू किया गया था, ताकि सबूत की कठिनाई को हल करने की एक सामाजिक मांग को पूरा किया जा सके, जहां असहाय विवाहित महिलाओं को पति या ससुराल वालों द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था और आपत्तिजनक साक्ष्य आमतौर पर वैवाहिक घर के चार कोनों के भीतर उपलब्ध होते थे और इसलिए घर के बाहर किसी को भी उपलब्ध नहीं थे। तथापि, अभी भी इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि उपधारणा का उद्देश्य आपराधिक कानून के क्षेत्र में अभियुक्त के विरुद्ध कार्य करना है। उपधारणा बनाने से पहले, इसकी नींव अवश्य विद्यमान होनी चाहिए। धारा 113-क के केवल पठन से पता चलता है कि इसकी प्रयोज्यता को लागू करने के लिए, यह दर्शाया जाना चाहिए कि (i) महिला ने आत्महत्या की है, (ii) ऐसी आत्महत्या उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर की गई है, (iii) उसके पति या उसके रिशतेदारों, जिन पर आरोप लगाया गया है, ने

उसके साथ क्रूरता की है। उपरोक्त परिस्थितियों होने पर, न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि उसे आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा उकसाया गया था। संसद ने इस मुद्दे पर उपधारणा बनाने के लिए सावधानी बरतने को कहा है। पहला, उपधारणाबनाना अनिवार्य नहीं है; यह केवल अनुमेय है जैसा कि "अनुमान लगा सकता है"अभिव्यक्ति से पता चलता है। दूसरा, उपरोक्त तीनों परिस्थितियों का अस्तित्व और उपलब्धता एक सूत्र की तरह उपधारणा बनानेके लिए पर्याप्त नहीं होगी; उपधारणाबनाए जाने से पहले न्यायालय को "मामले की अन्य सभी परिस्थितियों"को ध्यान में रखना होगा। मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार करने से उपधारणाको मजबूत बनाया जा सकता है या यह उपधारणा बनाने से बचने के लिए न्यायालय के विवेक को निर्देशित कर सकता है। धारा 113-क में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मामले की अन्य परिस्थितियां" एक उपधारणाबनाने के उद्देश्य से क्रूरता और आत्महत्या के बीच एक कारण-और-प्रभाव संबंध तक

पहुंचने की आवश्यकता का सुझाव देती है।अंत में, यह उपधारणा अकाट्य नहीं है। उपधारणा बनाए जाने के बावजूद बचाव में पेश किया गया साक्ष्य या तथ्य और परिस्थितियां जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं, उपधारणा को नष्ट कर सकते हैं। धारा 113क में उपयोग किए गए वाक्यांश 'उपधारणा बना सकते हैं'को साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है- जब भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकता है, तो वह या तो तथ्य को साबित किया हुआ मान सकता है, जब तक कि इसे गलत साबित न कर दिया जाए, या इसके लिए सबूत की मांग कर सकता है।"

8. हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं को क्रूरता के आरोप से मुक्त करने के बाद, जो धारा 498ए के तहत किए गए अपराध के लिए सबसे बुनियादी घटक है, धारा 113ए लागू करने के लिए तीसरा घटक गायब है, अर्थात्, रिश्तेदारों अर्थात्, सास और ससुर, जिन पर धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया है, ने पीड़ित के साथ क्रूरता की थी। इसमें

कोई संदेह नहीं है कि इस मामले के तथ्यों में यह पाया गया है कि ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया, लेकिन प्रताड़णा क्रूरता से कम होती है। इसके अलावा, हम तथ्यों के आधार पर पाते हैं कि यह मानते हुए कि धारा 113क के तहत उपधारणा लागू होगी, इसका पूरी तरह खंडन किया गया है, क्योंकि आत्महत्या करने में पीड़ित की सहायता करने के लिए ससुराल वालों की ओर से कोई लिंक या इरादा नहीं है।

9. इस महत्वपूर्ण कड़ी की अनुपस्थिति में, केवल इस तथ्य से कि उत्पीड़न किया गया है, यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया है।

10. इसलिए, तथ्यों पर, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थियों को संहिता की धारा 498-क के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया है, हम पाते हैं कि धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया गया है।

11. इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को खारिज करते हैं। यदि अपीलकर्ता जेल में हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

12. उपरोक्त शर्तों में अपील स्वीकार की जाती है।

न्यायाधीश(रोहिंटन फली नरीमन)

न्यायाधीश(मोहन एम. शांतानागौदर)

नई दिल्ली

24 अप्रैल, 2017

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण:यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।